

गृह निर्माणार्थ अनुमति पत्र

प्रेषक

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण
भदोही।

सेवा में,

प्रोजेक्ट रजपुरा मार्ट
रजपुरा वाणिज्यिक सह-आवासीय योजना
प्रमोटर- भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण
बीडा भदोही।

प्राधिकरण द्वारा दिनांक 05.04.16 सेक्टर/जोन 02 के ग्राम/योजना रजपुरा वाणिज्यिक सह-आवासीय योजना रजपुरा टाउन अन्दर भदोही के राजरा के भूखण्ड संख्या 675, 676, 677, 678, 680, 682, 683, 684, 685, 686, व 688 पर भवन के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर आपके प्रस्तावित मानचित्र पर स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, जो कि रजपुरा मार्ट बनाने के सम्बन्ध में है, जिसका टोटल प्लॉट एरिया 4827.90 वर्ग मीटर है।

1. यह अनुमति उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1976 की धारा 9 एवं इसके साथ पठित भदोही औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमावली 2014 के अन्तर्गत दी जाती है किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिरा पर प्रस्तावित भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् अनुमति किसी के मित्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।
2. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र से स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित कराना अनिवार्य होगा जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
3. स्थल का अधिभोग/उपयोग तथा निर्माण स्वीकृत प्रस्तावना के अनुरूप ही किया जायेगा।
4. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
5. मनचित्र की स्वीकृति की वैधानिकता मात्र पाँच वर्ष की अवधि के लिए है जो कि प्रोजेक्ट प्रारम्भ करने की तिथि 23.08.2016 एवं प्रोजेक्ट की समाप्ति तिथि 22.08.2021 है।
6. भवन निर्माण से यदि नाली, सड़क की पटरी अथवा सड़क अथवा नाली के किसी भाग (जो मकान के अग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गयी हो,) को हानि पहुँचे तो गृह स्वामी भवन तैयार हो जाने के 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण में एक लिखित सूचना द्वारा अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अथवा जिससे विकास प्राधिकरण को संतोष हो जाय, मे कर देगा।
7. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रीक सिटी 1956) नियम 82 का उलंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाए गये तो ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।

(C-1)D:\p4\Niyojan\maksha anumati patra.doc

8. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तथा छत तक बन जाने एवं पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद हो जाने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
9. स्वामी को नियमानुसार बीडा को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान सम्य सीमा के भीतर पूर्ण होने के पश्चात 15 दिन के अन्दर देना होगा। प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा।
10. स्वीकृति के अनुसार ही निर्माण एवं उपभोग करना होगा।
11. स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य पक्ष को स्वयं कराना होगा।

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर

कार्यालय सम्प्रेषण संख्या 2283

अधिकारी का नाम

अधिकारी का पदनाम

विशेष कार्याधिकारी

दिनांक

09-1-2020


विशेष कार्याधिकारी
बीडा-भरदोही